

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार शिक्षा प्रसार अधिकारी को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 6 में अंकित निरंतर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है:-

क स	नाम शिक्षा प्रसार अधिकारी मय पदस्थापन स्थान (राउमावि) सर्वश्री	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि/पद	I ग्रेड में चयन का प्रकार/ कार्यग्रहण तिथि	स्वीकृत एसीपी. I,II,III	वेतन बेण्ड	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृत तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गोविन्दवल्लभ व्यास, मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, आसीद, भीलवाडा	25.02.1953	22.12.77 अध्यापक	डीपीसी-97-98, शिक्षा प्रसार अधिकारी 12.07.97	III, 30 वर्ष	9300-34800	4800	22.12.07
2	स्नेहलता दाधीच, अवर उप जिशिअ, कार्यालय जिशिअ, प्रारंभिक शिक्षा, उदयपुर	11.12.1966	शिक्षा प्रसार अधिकारी 06.02.95	सीधी भर्ती शिक्षा प्रसार अधिकारी 06.02.95	II, 20 वर्ष	15600-39100	6000	06.02.15
3	घनश्याम शर्मा, तत्कालीन विकास अधिकारी, वर्तमान अतिरिक्त बीईईओ, नैनवा, बून्दी	21.12.58	शिक्षा प्रसार अधिकारी 15.11.95	सीधी भर्ती शिक्षा प्रसार अधिकारी 15.11.95	II, 20 वर्ष	15600-39100	6000	15.11.15

उपरोक्त शिक्षा प्रसार अधिकारियों का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-8/एसीपी/एसडीआई/2018-19/112

दिनांक:- 18.06.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी
3. संबंधित संस्था प्रधान/शिक्षा प्रसार अधिकारी
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. निजी एवं रक्षित पत्रावली



* संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर